[2022] 14 एस. सी. आर 503

एजेएमएएल

ए.

वी.

केरल राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1838)

बी.

12 जुलाई, 2022

[अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 34 , 149 , 302 , 304 भाग 2-गैर-इरादतन हत्या-मृतक को अन्य दोस्तों के साथ दस अभियुक्त व्यक्तियों के मौखिक विवाद ने रोक दिया।

सी.

हुआ-मृतक को आरोपी नं. 1 और 2 और परिणामस्वरूप, मृतक जमीन पर गिर गया-अभियुक्त नं। 3 दूसरों पर लाठी से हमला किया और उन्हें साधारण और गंभीर चोट पहुँचाई-यू/एस. एस. के तहत आरोप तय किए गए। 143 , 147 , 148 , 341 , 323 , 324 , 427 और 303 आर/डब्ल्यू एस। 149 - ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी कर दिया। 4 , 5 , 7 और 10-उच्च न्यायालय तीन अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। 6 , 8 और सभी डी आरोपों में से 9-अपीलार्थियों को यू/एस. एस. के तहत दोषसिद्धि। 143 , 147 , 148 आर/डब्ल्यू एस। 149 हालाँकि, एस. एस. के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया था। 341 , 323 , 324 , 427 और 303 आर/डब्ल्यू एस। 34 जैसा कि निचली अदालत द्वारा दिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गईः वर्तमान मामला गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है

ई.

यू/गिरने वाली हत्या के बराबर s.304 भाग-II इन कारणों से कि हत्या करने के लिए मन का कोई पूर्व-ध्यान नहीं था; जब सभी अभियुक्तों ने मृतक का वाहन रोका तो वे स्वीकार्य रूप से सशस्त्र नहीं थे; उस स्तर पर मौखिक विवाद के दौरान ही तीनों अभियुक्तों ने हमले का हथियार उठाया; एकमात्र प्रहार मृतक को आरोपी संख्या द्वारा दिया गया था। 1 और 2 और मृतक को मारने के लिए उकसाने के लिए स्थापित मामले को साबित नहीं पाया गया कि अपीलार्थी यू/एस के तहत बरी होने के हकदार होंगे। 302 लेकिन एस के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। 304 भाग-II-उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई बाकी दोषसिद्धि और यू/एस. एस. के तहत आरोपों के लिए सजा। 341 , 323 , 324 और 427 आर/डब्ल्यू एस। 34 आई. पी. सी. बना रहता है।

जी.

आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः

1.वर्तमान मामला ए की श्रेणी में आता है

निम्नलिखित कारणों से आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत गैर इरादतन हत्या। (i) हत्या करने के लिए मन का कोई पूर्व ध्यान नहीं था, (ii) सभी आरोपी एच थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब उन्होंने मृतक और उसके दोस्तों के वाहन को रोका और उन्हें उसी से नीचे उतरने के लिए मजबूर किया, (iii) उस स्तर पर मौखिक बहस के दौरान तीन अभियुक्तों ने हमले का हथियार, कैजुआरिना के पेड़ की छड़ें और सड़क के किनारे से एक ईंट उठाई। ((iv) मृतक को अभियुक्त संख्या द्वारा एक प्रहार दिया गया था। 1 और 2, (v) द

बी.

मृतक को मारने के लिए उकसाने के लिए स्थापित मामला साबित नहीं हुआ है। (vi) दोनों समूहों में युवा पुरुष शामिल थे। (vii) उच्च न्यायालय ने पाया कि एक समान उद्देश्य के साथ कोई गैरकानूनी सभा नहीं हुई थी और तदनुसार तीन अन्य अभियुक्तों और वर्तमान अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत गैरकानूनी सभा के आरोप से बरी कर दिया था। (viii) अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराया गया है। इन सभी कारणों से, अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत बरी होने के हकदार होंगे, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई बाकी दोषसिद्धि और धारा 341,323,324 के तहत आरोपों के लिए सजा

डी.

तीनों को पहले से ही गुजर चुकी अवधि के लिए सम्मानित किया गया याचिकाकर्ता। [पैरा 21,23 और 24] [517-डी-एच; 518-सी-ई]

ई.

गुलाब बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 2021 (12) जे. टी. 134-लागू नहीं है।
मोहम्मद. रफीक बनाम। एम. पी. राज्य (2021) 10 एस. सी. सी. 706-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

एफ.

(2021) 10 एस. सी. सी. 706

उस पर भरोसा करें

पैरा 17 आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1838।

उच्च न्यायालय के 30.05.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

जी.

केरल के एर्नाकुलम में। ए. 2014 का No.91। के साथ

आपराधिक अपील सं। 1839 और 2019 का 1840।

वी. के. शुक्ला, एन. हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , हरिकुमार वी., अनुपम ए. मिश्रा, जेनिस वी. फ्रांसिस, पी. वी. दिनेश, अश्विनी कुमार सिंह, बिनेश के., शिनोज के. नारायणन, के. राजीव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।
हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलाक्कोट, श्रीमती अर्शली हर्षद, रोहित आर. कार्था, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय विक्रम नाथ, जे.

1. अभियुक्त द्वारा दायर तीन अपीलों का वर्तमान सेट-अपीलार्थी

बीजू (अभियुक्त सं. 1), आशिक सलाम (अभियुक्त सं. 2) और अजमल (अभियुक्त सं. 3) ने आपराधिक अपील सं. 2019 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30 मई, 2019 के निर्णय और आदेश की शुद्धता पर हमला किया। 91 , 238 और 2014 का 564, जिसके तहत उपरोक्त अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। आई. पी. सी. की धारा 143,147,148 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत इन तीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया था, हालांकि, निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 341,323,324,427 और डी के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी। 2. शुरुआत में, यह बताया जा सकता है कि 10 (दस) आरोपी थे, जिन पर आरोप पत्र दायर किया गया था। वर्तमान अपीलार्थी अभियुक्त हैं। ए 1, ए 2 और ए 3। चार अभियुक्त नामतः अभियुक्त संख्या। 4 , 5 , 7 और 10 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। आगे उच्च न्यायालय ई तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। 6 , 8 और सभी आरोपों में से 9। इस प्रकार, 10 (दस) अभियुक्तों में से, वर्तमान तीन अभियुक्त-अपीलार्थी ए 1, ए 2 और ए 3 उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं और इस प्रकार, इस न्यायालय के समक्ष हैं।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार पूरा लेन-देन तीन भागों में था। इसे संक्षेप में इस प्रकार बताया गया हैः

एफ.

3.1 . जनवरी, 2008 के अंतिम सप्ताह में, थिदानाडू और वारियानिक्कुडू में स्थित चर्च में उत्सव चल रहे थे। मृतक वार्केचेन @जॉर्ज थॉमस अपने दोस्तों के साथ शुरू में एक स्कॉर्पियो कार में थिदानाडू चर्च गए थे, जिसे साजी जोसेफ (पीडब्ल्यू-1) एक संगीत समारोह (गण मेला) में भाग लेने के लिए चला रहे थे। मृतक ने जी के साथ अपने दोस्तों के साथ लगभग आधे घंटे तक कार्यक्रम देखा और,

इसके बाद, वहाँ चल रहे उत्सव का आनंद लेने के लिए वारियानिक्कुडु में एक अन्य चर्च की ओर बढ़े। लगभग 9 बजेः 00 शाम को, वे थिदानाडू चर्च लौट रहे थे, जब दो मोटर-बाइक आरोपी नं। 9 1 आई. पी. सी.-भारतीय दंड संहिता, 1860

ए (साबिर) और आरोपी नं। 3 , अजमल उनकी कार के आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। अभियुक्त नं. 6 (रज़ीक जलाल @रज़ी) ए 3 (अजमल) द्वारा संचालित मोटर-साइकिल पर पीछे बैठे थे। उस समय, साजी जोसेफ (पीडब्लू-1) और ए 3 (अजमल) के बीच बाइकों के उनके वाहन (चार पहिया) को रास्ता नहीं देने के बारे में बहस हुई।

3.2 . लगभग 10 बजेः 45 अपराह्न, मृतक अपने दोस्तों के साथ थे

बी.

लौटते समय, जब उनकी कार थिदानाडू कारा में वेइलुकनमपारा जंक्शन नामक स्थान पर पहुंची, तो उन्होंने आरोपी नं. 9 (साबिर) सड़क के किनारे उनका इंतजार कर रहा था और उसके तुरंत बाद अन्य आरोपी भी अलग-अलग बाइक पर उसके साथ शामिल हो गए। सभी दस अभियुक्त-व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और एक सामान्य उद्देश्य पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया।

सी.

मृतक और उसके दोस्तों को रोका और उन्हें नीचे उतरने के लिए मजबूर किया

उनके वाहन से। एक बार जब वे वाहन से बाहर निकले तो अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी नं. 1 (बीजू) ने मृतक को काजू के पेड़ की छड़ी (एमओ-2 के रूप में चिह्नित) से मारा। जबकि आरोपी नं. 2 (आशिक सलाम) ने अपनी गर्दन के पीछे एक ईंट (डी को एमओ-3 के रूप में चिह्नित किया) से मारा, इन दो चोटों के परिणामस्वरूप, मृतक सड़क पर गिर गया। अभियुक्त नं. 3 (अजमल) ने साजी जोसेफ (पीडब्लू-1) पर काजू के पेड़ की छड़ी (एमओ-1 के रूप में चिह्नित) से हमला किया जिससे उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। जैसे ही इस समय तक जनता इकट्ठा होने लगी, आरोपी घटना स्थल से चले गए।

ई.

3.3 . इसके अलावा, जब मृतक को उसके द्वारा कार में ले जाया जा रहा था

अस्पताल की ओर जा रहे दोस्तों, एक बार फिर, वाहन को चेन्नई जंक्शन के पास अभियुक्तों-व्यक्तियों द्वारा रोका गया, जहाँ आरोपी नं। 3 , अजमल ने कार पर पत्थर फेंके जिससे विंड स्क्रीन और अन्य चश्मे को नुकसान पहुंचा।

एफ.

3.4 . घायल-मृतक को आई. एच. एम. अस्पताल ले जाया गया।

भरानंगनम और वहाँ से, उन्हें कोट्टायम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उन्हें मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल, एर्नाकुलम में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अगले दिन लगभग 4 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। 45 ए. एम. प्रथम सूचना रिपोर्ट पीटर (पीडब्लू-2) द्वारा उनके बयान पर दर्ज की गई थी, जिसे प्राथमिकी (Ext.P.-1) के रूप में दर्ज किया गया था।

4. जाँच सर्कल इंस्पेक्टर (पीडब्लू) द्वारा की गई थी।

20) , जिन्होंने जाँच रिपोर्ट तैयार की (एक्स. - पी2)। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया, जिसका संचालन सहायक प्रोफेसर ने किया। फोरेंसिक मेडिसिन और डिप्टी पुलिस सर्जन, मेडिकल कॉलेज अस्पताल,

कोट्टायम (पीडब्लू-13) लगभग 2 बजेः 05 28.01.2008 पर अपराह्न। उन्होंने ए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Ext.P-10) तैयार की जिसमें निम्नलिखित पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों का उल्लेख किया गया हैः

" (1) खोपड़ी का संदूषण 10 X 8 से. मी. जिसमें बाएं पश्चवर्ती क्षेत्र की पूरी मोटाई शामिल है, इसकी निचली सीमा 3 से. मी., गर्दन की जड़ के ऊपर और 2 से. मी. बाहरी से मध्य रेखा तक।

बी.

(2) दाहिने गाल का संदूषण 5 x 4 से. मी. एक्स. 0.5 से. मी. (3) अपघटित संदूषण 8 एक्स. 1 से. मी.-2 से. मी. एक्स 1 से. मी. क्षैतिज रूप से तिरछा जिसमें गर्दन का दाहिना भाग और तथ्य शामिल हैं, इसका निचला बाहरी विस्तार गर्दन की जड़ से 7 से. मी. ऊपर और 10 से. मी. बाहरी से मध्य रेखा तक है।

सी.

खोपड़ी में 8 से. मी. लंबा फ्रैक्चर दिखाई दिया, जिसमें पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के बाईं ओर की पश्च हड्डी शामिल थी, 1-1.5 से. मी. बाहरी से मध्य रेखा तक, चोट संख्या 1 के अनुरूप। ड्यूरा अक्षुण्ण था जिसमें एक नीला रंग और तनाव था, मस्तिष्क के दाहिने सामने और अस्थायी खंड के ऊपर उप-थक्के देखे गए थे जिसमें द्वीपक्षीय सबराक्नोइड डी था। रक्तस्राव। विभाजन पर पोंस ने रक्तस्राव क्षेत्र 1.5 से. मी. x 1 से. मी. दिखाया। मस्तिष्क के दाहिने अग्र ध्रुव में 3 x 2 x 0.5 से. मी. संदूषण था। मस्तिष्क में मोटा जाइरी और संकीर्ण सल्की दिखाई दिया। दाहिनी ओर पूर्वकाल कपाल फोसा में 4 सेंटीमीटर लंबा फ्रैक्चर दिखाई दिया।

ई.

(4) संदूषण 5 x 4 x 0.5 से. मी. लंबा। (5) बाएँ घुटने के सामने 2 x 1 सेमी घर्षण। 5. जाँच पूरी करने के बाद, पुलिस रिपोर्ट के तहत

धारा 173 (2) Cr.P.C.2 प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया और मामले को एफ. मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 143,147,148,341,323,324,427 और आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोप तय किए। अभियुक्तों को आरोप पढ़ाए गए, जिन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इस प्रकार, उन पर मुकदमा चलाया गया। 6. अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू.-1 से पी. डब्ल्यू.-21 जी के रूप में 21 गवाहों की जांच की और एक्सट्स के रूप में चिह्नित 74 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किएः पी 1 से पी-74 और आगे एमओ-1 से एमओ-19 के रूप में चिह्नित 19 भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बंद होने के बाद, धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्तों से पूछताछ की गई और दोषारोपण करने वाली सामग्री 2 Cr.P.C थी।- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

उनके लिए एक पुट। उन्होंने ऐसी सभी परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही दोहराई। जाँच अधिकारी ने एक परीक्षण पहचान परेड भी आयोजित की।

7. अभिलेख पर और उसके बाद भौतिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद

पक्षकारसभक विद्वत वकीलकेँ सुनिकऽ ट्रायल कोर्ट चारि बी अभियुक्तकेँ, अर्थात् अभियुक्त सं। 4 , 5 , 7 और 10 नामतः निजास, नसीबुल्ला @नजीब, सीनज और शिहाब। इसने बाकी 6 (छह) अभियुक्तों को दोषी ठहराया। 1 , 2 , 3 , 6 , 8 और 9, क्रमशः बीजू, आशिक सलाम, अजमल, रज़ीक जलाल @रज़ी, सलीम बशीर @Saly और साबिर।

8. दोषसिद्धि से व्यथित सभी 6 (छह) अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। 2014 की आपराधिक अपील No.87 थी

अभियुक्त सं. द्वारा दायर। 6 और 8 नामतः रज़ीक जलाल @रज़ी और सलीम बशीर @सैली, जबकि 2014 की आपराधिक अपील No.132 थी

अभियुक्त नं. 9 - सबीर। जैसा कि पहले ही ऊपर दर्ज किया गया है, अन्य तीन अपीलों में संख्या। 564 , 238 और 2014 का 91 अभियुक्तों द्वारा दायर किया गया था। 1 , 2 और 3 क्रमशः बीजू, आशिक सलाम और अजमल। जैसा कि डी ने पहले ही ऊपर दर्ज किया है, उच्च न्यायालय ने 2014 की अपील Nos.87 और 132 को तीन अभियुक्तों को बरी करने की अनुमति दी। 6 , 8 और सभी आरोपों में से 9, जबकि इसने आंशिक रूप से अपील संख्या की अनुमति दी। 564 , 238 और वर्तमान तीन अपीलार्थियों में से 2014 का 91। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित, तीनों अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष हैं।

ई.

(i) कि मृतक की मृत्यु-वार्केचेन @जॉर्ज थॉमस हत्या थीः ((ii) कि पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 को साधारण और गंभीर चोट लगी जो निम्नलिखित तारीख, समय और स्थान पर हुई।

एफ.

एफ. आई. आर.

(iii) कि एफ़. आई. आर. तुरंत दर्ज की गई थी; (iv) मृतक को हुई पूर्व-शव परीक्षण चोटें पीडब्लू-2 द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुरूप हैं और यह भी कि

जी.

पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-4 के बयानों से स्थापित, जो घायल चश्मदीद गवाह हैं।

(v) भौतिक वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति (एम. ओ. संख्या। 1, 2 और 3) का उपयोग तीन अपीलार्थियों द्वारा मृतक को घातक चोट पहुँचाने के साथ-साथ पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 को भी चोट पहुँचाने के लिए किया जाता है।

10. जहाँ तक परीक्षण पहचान परेड का संबंध है, वही ए नीचे की अदालतों द्वारा बहुत विश्वसनीय नहीं पाया गया है, हालाँकि, जैसा कि गवाह और घायल आरोपी को जानते थे, अदालत में उनकी पहचान नीचे की अदालतों द्वारा पर्याप्त पाई गई है। वे सभी पड़ोस के निवासी थे और एक-दूसरे को जानते थे।

11. इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित तरीके से घटना विधिवत स्थापित की गई है। मृतक की मृत्यु आरोपी संख्या के कारण हुई चोटों के कारण हुई। 1 और 2 छड़ी का उपयोग करके (एमओ)

बी.

2) और एक ईंट (एमओ-3), जबकि पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 को लगी चोटें आरोपी नं. 3 छड़ी का उपयोग करके

(एमओ-1)। एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या यह आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या थी, जैसा कि निचली अदालतों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है या यह एक गैर-इरादतन हत्या थी जो आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दंडनीय हत्या नहीं थी, जैसा कि अपीलार्थियों के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

सी.

12. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने घटना के तरीके पर बहुत जोर दिया है। उनके अनुसार, डी (आई) हत्या करने का कोई पूर्व-ध्यान नहीं था।

((ii) जब अभियुक्तों ने वाहन को रोका और मृतक और घायलों को वाहन से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, तो वे किसी भी हथियार से लैस नहीं थे।

ई.

(iii) यह केवल तब हुआ जब वे वाहन से उतरे और स्कॉर्पियो वाहन को पास नहीं देने में पहले मौखिक विवाद के परिणामस्वरूप कुछ गरमागरम बहस हुई।

मोटर-बाइक को ओवरटेक करें, कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने सजावट से काजू के पेड़ की छड़ी उठाई, जो उस स्थान पर एफ बनाई गई थी और सड़क के किनारे से ईंट भी और उससे हमला किया।

((iv) उपयोग किए गए इन दोनों हथियारों को घातक हथियार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर चोट लग सकती है और चोट लग सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है।

जी.

(v) यह सच है कि मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटें महत्वपूर्ण भाग यानी सिर और गर्दन पर थीं और जो, चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन वही थीं

अनजाने में।

ए.

(vi) अभियुक्तों द्वारा केवल एक-एक प्रहार किया गया था। 1 और 2 से

मृतक। बार-बार हमला नहीं हुआ।

((vii) हत्या करने का कोई पुरुष कारण नहीं था, इसलिए यह आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आता है।

(viii) उच्च न्यायालय के स्वयं के निष्कर्षों पर, यह मामला नहीं था

बी.

हत्या के बराबर गैर-इरादतन हत्या।

(ix) पैराग्राफ संख्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। 27 और उच्च न्यायालय के फैसले के 28, जिसमें

चश्मदीद गवाहों के नेतृत्व में साक्ष्य पर विचार करें और घायल अर्थात् पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4, जिसके अनुसार,

सी.

आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत आरोप को परिवर्तित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत बरी किया जाना चाहिए था और अधिकतम आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया जा सकता था।

(x) उच्च न्यायालय के फैसले का अनुच्छेद Nos.27 और 28

डी.

इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 27. हमारा इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि सामान्य उद्देश्य पल भर में बनाया जा सकता है, और यह कि किसी विशेष अपराध को करने के लिए मन की पूर्व बैठक या गैरकानूनी सभा के सदस्यों से युक्त एक औपचारिक सभा आवश्यक नहीं हो सकती है। पहले उल्लिखित बिंदु पर उदाहरण से संकेत मिलता है कि सभा के सदस्यों का यह ज्ञान कि वास्तव में जो कार्य हुआ था, उसके उनके कार्यों के कारण होने की बहुत संभावना थी, उन्हें अंतिम निर्णय के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त है।

ई.

एफ.

परिणाम। लेकिन, तत्काल मामले में, हम साक्ष्य से देखते हैं कि चेमलामट्टम में घटना का पहला भाग केवल ए 6 और ए 9 की उपस्थिति में पीडब्लू-1 और ए 3 के बीच एक विवाद था, जिसमें बाइक सवार रास्ता नहीं छोड़ रहे थे और ओवरटेकिंग के लिए पीडब्लू-1 द्वारा संचालित कार को रास्ता नहीं दे रहे थे। यह विवाद भी इतने लंबे समय तक नहीं चला कि ए 3, ए 6 और ए 9 के दिमाग में एक प्रतिशोध बन गया ताकि लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके।

जी.

शेष अभियुक्त हत्या, विशेष रूप से मृतक की, करने के सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा बनाने के लिए, क्योंकि विवाद केवल उसके साथ था

[विक्रम नाथ, जे।]

ए 3 और पीडब्लू1 और मृतक का ए से कोई लेना-देना नहीं था। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि आरोपी का निश्चित रूप से मृतक की हत्या करने का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि अभियुक्तों ने हत्या या यहां तक कि पिछले कार्य को करने के लिए सामान्य उद्देश्य का मनोरंजन किया होता, तो वे बी घातक हथियारों से लैस स्कॉर्पियो कार की प्रतीक्षा में लेटे रहते। अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी के पास ऐसा मामला नहीं है कि आरोपी ने उन्हें घातक हथियारों से लैस घटना स्थल पर रोका था। गवाहों के कार से उतरने के बाद ही पीडब्लू-1 ने ए 9 और आरोपी नं. 1 , 2 और 3 ने वहाँ उपलब्ध हथियारों को उठाया और मृतक सहित कार में सवार यात्रियों पर हमला किया। भले ही ए 3 ने दूसरों को मारने का आह्वान किया हो, लेकिन यह मृतक नहीं हो सकता था क्योंकि उसने केवल पी. डब्ल्यू.-1 के खिलाफ प्रतिशोध लिया था, और इसलिए, पूरी घटना के रूप में

डी.

गवाहों की मौखिक गवाही से हमें यह संकेत मिलता है कि यह सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी भी पूर्व नियोजित उद्देश्य के बिना केवल एक संयोग मुठभेड़ है। 28. यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-1 ने गवाही दी थी कि ए 9 के साथ उनकी मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई थी। ई घटना स्थल पर कार से उतरने के बाद शुरू हुआ। यह भी गवाही दी जाती है कि जब आरोपी पी. डब्ल्यू.-1 सहित कार के यात्रियों पर हमला करने गया था, तो ए 9 ने दूसरों को चोट पहुँचाने से रोक दिया था। पीडब्लू-1 की गवाही में इस विशेष कथन ने स्पष्ट रूप से ए 9 को हत्या करने के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कार्य करने के आरोपों से बरी कर दिया। उनके हाथों में कोई हथियार भी नहीं था। में।

वास्तव में, ए 1, ए 2 और ए 3 को छोड़कर, अन्य अभियुक्तों में से किसी ने भी घटना स्थल से कोई हथियार नहीं उठाया था। यहाँ तक कि ए 1 और ए 3 ने भी डंडे उठाए थे, जो थे

जी.

चर्च उत्सव के संबंध में की गई सजावट के हिस्से के रूप में घटना स्थल पर लटकना। हाथापाई के दौरान ए 2 ने सड़क के किनारे से एम. ओ. 3 ईंट को अचानक उठा लिया। कार के यात्रियों के उतरने का परिणाम। इन परिस्थितियों में हम एच. [2022] 14 एस. सी. आर. माने जाते हैं।

राय है कि ए 1, ए 2 और ए 3 के अलावा, अन्य में से कोई नहीं

ए.

अभियुक्त मृतक पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू.-2 पर हमला करने का दोषी हो सकता है। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है कि आम उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक गैरकानूनी सभा का गठन किया गया था। इसलिए धारा 149 का सहारा लेते हुए सभी अपीलार्थियों को शामिल करने वाले विद्वान सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष अच्छा नहीं माना जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कोई भी आरोपी पहले घातक हथियारों से लैस नहीं था और इसलिए

बी.

यह नहीं कहा जा सकता है कि वे घातक हथियारों से लैस दंगा करने के दोषी थे, जो आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध है।

सी.

(xi) चूंकि हत्या करने का कोई इरादा नहीं था या हत्या करने का पूर्व नियोजित प्रयास नहीं था, इसलिए आई. पी. सी. की धारा 302, आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता था।
(xii) कि अपीलार्थी जेल में हैं और उन्होंने कारावास का सामना किया है।

डी.

कई वर्षों से।

13. केरल राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरा लेन-देन तीन भागों में हुआ था। पहली घटना तब हुई जब वाहनों को ओवरटेक करते समय बहस हुई। दूसरी घटना हुई, जिसमें शारीरिक हमला हुआ जिससे मौत हो गई

ई.

मृतक को चोट पहुँचाना और तीन गवाहों, पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 को साधारण और गंभीर चोट पहुँचाना। तीसरी घटना तब हुई जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था।

अभियुक्त नं. 3 वाहन को नुकसान पहुँचाना। 14. राज्य के विद्वान वकील ने आगे कहा कि एफ का हत्या करने का स्पष्ट उद्देश्य था क्योंकि मौखिक विवाद की पहली घटना के बाद, यह केवल हत्या करने के इरादे से था कि सभी अभियुक्तों ने एक गैरकानूनी सभा बनाकर उस वाहन को घेर लिया जिसमें मृतक अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा था और उन्हें वाहन से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा था और

उसके बाद यह डंडों और ईंटों से एक गोपेन हमला था, जिसका उपयोग इस तरह के बल से किया गया था जिससे मृतक को घातक चोटें आईं और इसलिए, यह एक पूर्व नियोजित हत्या करने से कम नहीं था। घातक चोटों का कारण बनने के बाद भी, आरोपी ने मृतक को अस्पताल ले जाने से रोकने की कोशिश की और इरादा वाहन को रोकने और पर्याप्त देरी करने का था ताकि मृतक, जो अभी भी जीवित था, अंततः एच मर सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले में कोई दुर्बलता नहीं है 513

और अपील, तदनुसार खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान वकील ए ने गुलाब बनाम यू. पी. 3 राज्य मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है।

15. प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हम प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्थापित घटना को स्थापित करने वाले अभियोजन पक्ष में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। बी के लिए उक्त निष्कर्ष, हमने निम्नलिखित पर ध्यान दिया हैः

(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज की गई। ((ii) एफ. आई. आर. में स्थापित अभियोजन पक्ष की कहानी संभावित प्रतीत होती है।

सी.

(iii) चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष की कहानी की पूरी तरह से पुष्टि करता है। (iv) पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4, तीन चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का पूरा समर्थन किया है और उसी का वर्णन किया है।

जिस तरह से घटना हुई।

...

(v) औपचारिक गवाहों ने पुलिस के कागजात और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए अन्य दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करके अपना बोझ उठाया है। (vi) बरामद की गई भौतिक वस्तुओं को भी विधिवत साबित किया गया है। (vii) चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, जिन भौतिक वस्तुओं ई का कथित रूप से अपराध करने में उपयोग किया गया था, उनका उपयोग वास्तव में चोटों के कारण किया जा सकता था।

16. एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि

क्या वह तरीका जिसमें पूरा लेन-देन विशेष रूप से हुआ

शारीरिक हमले से संबंधित, गैर इरादतन हत्या या गैर इरादतन हत्या के बराबर होगी। 17. गैर इरादतन हत्या का निर्धारण करने और इसे गैर इरादतन हत्या से अलग करने के लिए प्रासंगिक विशिष्ट विशेषताएं और विचार बड़ी संख्या में मामलों में बहस का विषय रहे हैं। बिंदु संदर्भ पर कई जी निर्णयों का उल्लेख करने के बजाय मोहम्मद के मामले में हाल के निर्णय के लिए किया जा रहा है। रफीक बनाम एम. पी. 4 का राज्य, जिसमें न्यायमूर्ति रवींद्र पीठ की ओर से बोलते हुए भट्ट ने पिछले दो फैसलों पर भरोसा किया 3 2021 (12) जे. टी. 134

11 , 12 -

" 11.

12. 12.

"

"

[विक्रम नाथ, जे।]

तीन श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए दंडों में सबसे कम। इस स्तर की दंडनीय हत्या धारा 304.13 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है। "हत्या" और "गैर इरादतन हत्या" के बीच के अकादमिक अंतर ने एक सदी से अधिक समय से अदालतों को परेशान किया है। यदि अदालतें इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों बी के सही दायरे और अर्थ की दृष्टि खो देती हैं, तो वे खुद को सूक्ष्म अमूर्तता में खींचने की अनुमति देते हैं। इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है।

सी.

13. वे विचार जिनका न्यायालयों के साथ विचार किया जाना चाहिए,

यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई कार्य हत्या के रूप में दंडनीय है, या गैर-इरादतन हत्या, जो हत्या के बराबर नहीं है, पुलिचेरला नागराजू @नागराजा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में रेखांकित किया गया था।
इस अदालत ने कहा किः 29. इसलिए, न्यायालय को सावधानी डी और सावधानी के साथ इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तय करेगा कि मामला धारा 304 या 304 भाग I या 304 भाग II के तहत आता है या नहीं। कई छोटे या महत्वहीन मामले-किसी फल को तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों के बीच झगड़ा, अशिष्ट शब्द बोलना या यहां तक कि आपत्तिजनक नज़र आना, विवाद और सामूहिक संघर्षों का कारण बन सकते हैं जो मौतों में परिणत हो सकते हैं। ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। कोई इरादा नहीं हो सकता है। कोई पूर्वधारणा नहीं हो सकती है। वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के मामले हो सकते हैं जहां आरोपी एक मामले को सामने रखने का प्रयास करके हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास करता है कि मृत्यु का कारण बनने का कोई एफ इरादा नहीं था। यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I/II के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाए, या गैर इरादतन हत्या के मामलों को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में माना जाए। मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर निम्नलिखित कुछ या कई जी के संयोजन से एकत्र किया जा सकता है, अन्य परिस्थितियों के अलावा; (i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार आरोपी द्वारा ले जाया गया था या मौके से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार किया गया था।

शरीर के एक महत्वपूर्ण भाग पर लक्षित है; (iv) बल की मात्रा

ए.

चोट पहुँचाने में नियोजित; (v) क्या कार्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या घटना संयोग से होती है या क्या कोई घटना हुई थी।

पूर्वकल्पना; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या क्या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी।

बी.

(x) चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर और असामान्य तरीके से कार्य किया है; (xi) क्या अभियुक्त ने एक भी प्रहार किया है या कई प्रहार किए हैं। सी परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और अलग-अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं। " " " " 18. उक्त उद्देश्य के लिए, हमने जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य और साक्ष्य के अनुसार जांच के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित रिकॉर्ड पर साक्ष्य की जांच की।

डी.

मुकदमे के दौरान विशेष रूप से घायल चश्मदीद गवाहों द्वारा नेतृत्व किया गया। 19. उपरोक्त सभी सामग्रियों के अवलोकन से अभियोजन पक्ष की कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः (i) 27 जनवरी, 2008 की दुर्भाग्यपूर्ण शाम को पहली घटना हुई।

ई.

9 के आसपास हुआः 00 पी. एम. एक पक्ष के वाहनों को ओवरटेक करने के संबंध में और दूसरे के परिणामस्वरूप उस स्तर पर पीडब्लू-1 और ए 9 के बीच मौखिक विवाद होता है।

((ii) मौखिक विवाद के बाद दोनों पक्ष अलग-अलग दिशाओं में चले गए।

एफ.

(iii) बाद में, लगभग 10 बजेः 45 जब मृतक अपने अन्य दोस्तों पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के साथ लौट रहा था, तो उन्हें आरोपी 10 (दस) ने रोक दिया, उन्हें गलत तरीके से रोक दिया गया, उन्हें अपने वाहन से उतरने के लिए मजबूर किया गया।

जी.

(iv) फिर से, एक मौखिक विवाद हुआ जिसके बाद आरोपी संख्या। 1 और 3 ने सड़क के किनारे की सजावट से काजू के पेड़ की एक छड़ी उठाई और आरोपी नंबर 2 ने सड़क के किनारे से एक ईंट उठाई। अभियुक्त नं. 1 ने मृतक के सिर पर छड़ी से मारा, जबकि अभियुक्त नं. 2 ने

ईंट के साथ मृतक, जिसके परिणामस्वरूप, मृतक

जमीन पर गिर गया। अभियुक्त नं. 3 ने दूसरों पर एक छड़ी से हमला किया और उन्हें साधारण और गंभीर चोट पहुँचाई।

(v) अभियुक्त संख्या। 1 और 2 ने मृतक पर केवल एक चोट पहुँचाई थी। यह उनके द्वारा दोहराया गया या कई बार किया गया हमला नहीं था।

((vi) यद्यपि मृतक को मारने के लिए उकसाने की भूमिका अभियुक्त संख्या 3 को सौंपी गई थी, लेकिन मुकदमे के दौरान और प्रतिपरीक्षा में, सभी तीन गवाहों पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 ने कहा कि वे निश्चित नहीं थे कि उन्होंने धारा 161 Cr.P.C के तहत अपने बयानों में ऐसा कहा है या नहीं।

जाहिरा तौर पर, मृतक को मारने के लिए किसी भी आरोपी सी को प्रोत्साहित करने में कोई भूमिका नहीं सौंपी गई थी।

20. निचली अदालत ने 4 (चार) अभियुक्तों को बरी कर दिया था। 4 , 5 , 7 और 10 और उच्च न्यायालय ने तीन अन्य अभियुक्तों अर्थात् अभियुक्त संख्या को बरी कर दिया। 6 , 8 और सभी आरोपों में से 9।

21. इस मुद्दे पर आई. पी. सी. और डी. कानून में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि वर्तमान मामला निम्नलिखित कारणों से आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II के तहत आने वाली गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है।

((iv) मृतक को अभियुक्त संख्या द्वारा एक प्रहार दिया गया था। 1 और 2.

(v) मृतक को मारने के लिए उकसाने के लिए स्थापित मामला साबित नहीं हुआ है।

जी.

(vi) दोनों समूहों में युवा पुरुष शामिल थे।

(vii) उच्च न्यायालय ने पाया कि एक समान उद्देश्य के साथ कोई गैरकानूनी सभा नहीं हुई थी और तदनुसार तीन अन्य अभियुक्तों और वर्तमान अपीलार्थियों को भी आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत गैरकानूनी सभा के आरोप से बरी कर दिया था।

(viii) अपीलार्थियों को धारा की सहायता से दोषी ठहराया गया है।

ए.

34 आईपीसी.

22. गुलाब सिंह के मामले में फैसले का संदर्भ

(ऊपर) केरल राज्य के विद्वान वकील द्वारा, हमारी राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।

बी गैर इरादतन हत्या या गैर इरादतन हत्या के बीच अंतर से संबंधित कोई मुद्दा शामिल नहीं था। गुलाब सिंह के मामले में शामिल मुद्दा आई. पी. सी. की धारा 34 के लागू होने से संबंधित था।

23. इस प्रकार, ऊपर बताए गए सभी कारणों से, हमारा विचार है कि अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत बरी होने के हकदार होंगे, लेकिन

आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई बाकी दोषसिद्धि और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 341,323,324 और 427 के तहत आरोपों के लिए सजा बरकरार रखी गई है। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

24. अब दोषसिद्धि पर सजा के प्रश्न पर आते हैं

डी.

आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-2 में हम पाते हैं कि तीनों अपीलार्थी जेल में हैं और कई वर्षों तक जेल में रहे हैं। हम तदनुसार तीनों अपीलार्थियों द्वारा पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए सजा देते हैं। अपीलार्थियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो।

ई.

25. ऊपर की तरह अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

देविका गुजराल

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(शुभांशु दास, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)